रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

ECh-EEh. Tec.

(12)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, सितम्बर 25—अक्तूबर 1, 2005, शनिवार/आश्विन 3—आश्विन 9, 1927

No. 40] NEW DELHI, SEPTEMBER 25—OCTOBER 1, 2005, SATURDAY/ASVINA 3—ASVINA 9, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2005

सा. का. नि. 335.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद, अयोधक भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद, अयोधक भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद, अयोधक भर्ती नियम, 2001 में,—

(i) स्तंभ (5) में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—
''चयन पद अथवा अचयन पद'';

(ii) क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
''चयन'';

(iii) क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
''चयन'';

(iv) क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तंभ 12 में, ''प्रतिनियुक्ति'' शीर्षक के नीचे, मद (क) की उप मद (i) में, ''रेलवे बोर्ड लिपिकीय सेवा/वायु सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा'' पद के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—
''रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सेना मुख्यालय सिविल सेवा''।

[फा. सं. 17/61/2002-कार्मिक/सीसुबल]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :— मूल नियम, सा. का. नि. सं. 411 तारीख 26 जुलाई, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

Attested
17/9/05

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 341.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती शरण बाल अस्पताल (ई.ई.जी तकनीशियन) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती शरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली में ई.ई.जी/ईसीजी तकनीशियन के समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती शरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली में ई.ई.जी/ईसीजी तकनीशियन के समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ईसीजी/ईईजी तकनीशियन	3* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकती है)। **टिप्पण 1** . आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

Attested
17/5/07

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication

(6)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान के साथ स्नातक डिग्री या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रोनिकी या विद्युत संचार इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (ii) अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में ईईजी रिकॉर्डिंग में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :—** किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ईईजी प्रयोगशाला प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा। **टिप्पण :—**अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी ?	लागू नहीं होता

Attested
17/9/09

Asstt Controller (Business)
Govt. of India

(11)
(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 3200—4900 रुपए के वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर 5 वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने 3050—4590 रुपए के वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर 8 वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक —अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष (बाल रोग विज्ञान) —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/01/2004-आरआर (एमर्ण IV)]

महाबीर प्रसाद अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम सं. सा.का.नि.1990 तारीख 15-01-1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 26th September, 2005

G.S.R. 341.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children Hospital, (E.E.G. Technician) Recruitment Rules, 1989 except in respects of things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group C post of EEG/ECG Technician in the Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi (EEG /ECG Technician) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Attested
17/5/05

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
ECG/EEG Technician	3(Three)* (2005) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No	**Essential :—** (i) Bachelors degree with Physical as a subject from a recognized University or equivalent; or Diploma in Electronics or Electrical Communication Engineering from a recognized Institute; and	Not applicable	Two years for direct recruits

Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India

8
(ii) One Year experience in EEG regarding in a hospital or Medical Institute. **Desirable :—** Diploma in EEG Laboratory Technology form a recognized Institution. **Note :** Qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
11	12
By Direct Recruitment **Note :** Vacancy caused by the incumbents being away on deputation or long illness or Study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 3200—4900; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 3050—4590; and (b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (for Confirmation only):— 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Head of the Department (Paediatrics) —Member 3. Administrative Officer —Member	Not applicable.

[F. No. A-11018/01/2004-RR/ME-IV]

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

Note :—The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 1990 dated 15-01-1990.

Attested

17/9/05

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India